

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण क्रमांक 1626—पीबीआर/14 विरुद्ध आदेश दिनांक
28—05—2014 पारित द्वारा तहसीलदार ग्वालियर प्रकरण क्रमांक
5/2013—14/अ—70

डॉ.कर्नल रविन्द्र सिंह भदौरिया
पुत्र स्व.श्री डालसिंह भदौरिया
निवासी विजय नगर आमखो लश्कर
ग्वालियर म0प्र0

.....आवेदक

विरुद्ध
राजकुमार कुकरेजा पुत्र श्री एल.सी.कुकरेजा
निवासी डी.14 न्यू गौविन्दपुरी सिटीसेटर
ग्वालियर

.....अनावेदक

श्री आर०डी०शर्मा, अभिभाषक, आवेदक
श्री एम०एल०बंसल, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक २५/११/१५ को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म0 प्र0 भू—राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में बाद में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 28—05—2014 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक द्वारा तहसीलदार ग्वालियर के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि उनके द्वारा उनके स्वत्व की भूमि ग्राम महलगाँव स्थित सर्वे नम्बर 1485 रकबा 0.146 हेक्टैयर का सीमांकन दिनांक 5—3—2014 को कराया गया है, जिसमें उक्त भूमि पर आवेदक का अवैध कब्जा पाया गया है, अतः उसे प्रश्नाधीन भूमि का कब्जा दिलाया जाये।

००२

००१

का अवैध कब्जा पाया गया है, अतः उसे प्रश्नाधीन भूमि का कब्जा दिलाया जाये । तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 5/2013-14/अ-70 दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही के दौरान आवेदक द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत कर इस आशय की आपत्ति प्रस्तुत की गई कि आवेदक द्वारा अनावेदक के नामान्तरण आदेश के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की गई है जो कि लंबित है, साथ ही व्यवहार वाद भी प्रचलित है, अतः संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रचलन योग्य नहीं होने से निरस्त किया जाये । तहसीलदार द्वारा दिनांक 28-5-2014 को आदेश पारित कर आवेदन पत्र निरस्त किया जाकर प्रकरण साक्ष्य हेतु नियत किया गया । तहसीलदार के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक का वर्ष 1965 से विक्रय पत्र के आधार पर कब्जा है, यह जानकारी केता एवं विकेता को रही है, अतः सीमांकन से 2 वर्ष की समय सीमा लागू नहीं होगी । यह भी कहा गया कि संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत आवेदन पत्र में 3 तथ्यों का उल्लेख करना होता है कि प्रश्नाधीन भूमि पर से किस दिनांक को किसी प्रकार आवेदक द्वारा बेदखल किया गया, उक्त तथ्य का उल्लेख आवेदन पत्र में नहीं है । तर्क में यह भी कहा गया कि सीमांकन में आवेदक पक्षकार नहीं है, इसलिये उसके विरुद्ध सीमांकन के आधार पर संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत प्रकरण प्रचलित नहीं किया जा सकता है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक प्रश्नाधीन भूमि का भूमिस्वामी है, इसके बावजूद भी उसके पीछे सीमांकन किया गया है, जो कि अवैध कार्यवाही है । यह भी कहा गया कि जिस दिनांक को अनावेदक द्वारा भूमि क्य की गई है उसी दिनांक को उसे आवेदक के कब्जे की जानकारी हो गयी थी, फिर भी कब्जा वापिस प्राप्त करने की कोई कार्यवाही नहीं की गई । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि जब प्रश्नाधीन भूमि पर विकेता को ही अधिकार प्राप्त नहीं थे, तब केता को अधिकार प्राप्त नहीं सकते हैं ।

0001

On/Am

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित एवं मौखिक तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये है :—

(1) संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत सीमांकन की तारीख से 2 वर्ष के अन्दर कब्जा वापिस प्राप्त करने की कार्यवाही की जा सकती है। प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन दिनांक 5-3-2014 को हुआ है और अनावेदक द्वारा दिनांक 1-5-2014 को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है, जो कि समय सीमा में है।

(2) संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत कब्जा दिलाये जाने का अधिकार तहसीलदार को प्राप्त है, इसलिये तहसीलदार द्वारा उचित आदेश पारित किया गया है। मात्र व्यवहार वाद प्रचलित रहने से संहिता की धारा 250 के अधिकार समाप्त नहीं होते हैं और तहसीलदार को कब्जा दिलाये जाने का अधिकार प्राप्त है, व्यवहार न्यायालय को नहीं।

(3) तहसीलदार द्वारा संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत उक्त कब्जा दिलाये जाने की कार्यवाही की जा रही है, स्वत्व का निराकरण नहीं किया जा रहा है। तर्क के समर्थन में 1986 आरएन 101, 1987 आरएन 391, 1992 आरएन 275 एवं 1993 आरएन 363 के न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किये गये है।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का सूक्ष्म अवलोकन किया गया। तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि अनावेदक प्रश्नाधीन भूमि का भूमिस्वामी है और सीमांकन में प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक का कब्जा पाया गया है, अतः तहसीलदार के समक्ष प्रचलित संहिता की धारा 250 के प्रकरण का निराकरण गुणदोष पर किया जाना वैधानिक दृष्टि से उचित है। केवल आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रारंभिक आपत्ति के आधार पर प्रकरण समाप्त किया जाना न तो वैधानिक दृष्टि से उचित है और न ही न्यायिक दृष्टि से उचित है। आवेदक की ओर से तहसीलदार के समक्ष जो आपत्तियों प्रस्तुत की गई है, उनका निराकरण प्रकरण में साक्ष्य लेकर ही किया जा सकता है। इस प्रकार तहसीलदार द्वारा प्रकरण में सम्पूर्ण कार्यवाही की जाकर उभयपक्ष को सुनकर गुणदोष पर विचार करते समय आपत्तियों का निराकरण किया जायेगा। दर्शित

0021

0021

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 28-05-2014 स्थिर रखा जाता है। निगरानी निरस्त की जाती है।

[Signature]

[Signature]
(मनोज गोयल)

अध्यक्ष

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर